न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 02/25 (अपील)

GCMS No. : 2025/79

अनवान्

1. सुश्री जेतु पिता चतरा जी जाति गाडरी उम्र–वयस्क, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

.............अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती लोगरीबाई पत्नी चतरा जी जाति गाडरी उम्र–वयस्क, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्री उदयलाल पिता चतरा जी जाति गाडरी उम्र वयस्क, निवासी–खेमपुर, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
3. श्रीमती प्रेमबाई पिता चतरा जी, पत्नी हरिराम जी, जाति गाडरी, उम्र–वयस्क, निवासी–मुण्डोल, पुरिया खेडी, तहसील वल्लभनगर जिला–उदयपुर (राज०)
4. श्रीमती श्यामुबाई पिता चतरा जी, पत्नी नाथुलाल जी जाति गाडरी उम्र–वयस्क, निवासी–खेमपुर, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
5. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)

......................रेस्पोडेण्टस

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता अपीलाण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत खेमपुर नामान्तरकरण संख्या 2021 निरस्त तारीख 23.12.2024

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 08.04.2025

1. अपीलाण्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह अपील ग्राम पंचायत खेमपुर द्वारा निर्णित नामान्तकरण सख्या 2021 दिनांक 23.12.2024 के विरूद्ध की जा रही है। गावं खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 210, 478, 542, 558, 565, 605, 901, 902 किता 8 कुल रकबा 2.7842 हैक्टेयर भूमि मुझ अपीलाण्ट के पिता ... पिता रूपा जी जाति गाडरी के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:05:13 IST
Reason: SelfAttested

पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है किन्तु उनका निधन हो जाने से उनके समस्त वारिसान अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट सख्या 1 से 4 है। नामान्तकरण सख्या–2021 को ग्राम पंचायत खेमपुर के सरंपच द्वारा लापरवाही पूर्वक बिना नामान्तकरण की जांच किये अपनी रिपोर्ट में कोई स्पष्ट कारण अंकन किये बिना ही उक्त नामान्तकरण को निरस्त कर दिया जिससे उक्त भूमि का नामान्तकरण मुझ अपीलान्ट के पक्ष में नहीं हो सका जिससे अपील में वर्णित आराजीयात के उपयोग–उपभोग में काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है।

2. यह कि अपील में वर्णित आराजीयात की ग्राम पंचायत खेमपुर के सरंपच द्वारा विधिवत् तरीके से जांच नहीं कर एवं रिपोर्ट नही कर घौर लापरवाही की गई है जिससे अपील में वर्णित भूमि का नामान्तकरण मुझ अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज करने की बजाय खारिज कर दिया, जिससे अपील में वर्णित भूमि का नामान्तकरण मुझ अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज नहीं हो सका। इसलिये ग्राम पंचायत खेमपुर के सरपंच द्वारा निरस्त नामान्तकरण सख्या–2021 को विधि सम्यक होने से स्वीकार किया जाना आवश्यक है।

3. यह कि मुझ अपीलान्ट के पिता चतरा पिता रूपा जी जाति गाडरी निवासी खेमपुर द्वारा दिनांक–14.11.2024 को उक्त वर्णित कृषि भूमि में निहित उनके सम्पुर्ण हिस्से में से 1/2 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड दान–पत्र से मुझ अपीलान्ट के पक्ष में दान किया था, उक्त दस्तावेज के निष्पादन के उपरान्त मै अपीलान्ट उक्त दान–पत्र में वर्णित हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग आज दिनांक तक बिना किसी बाधा निर्विवाद रूप से कर रही हूं जिसमें किसी भी अन्य व्यक्ति का कोई हक, दखल एवं अधिकार नही है।

4. यह कि मैं अपीलान्ट पटवारी पटवार हल्का खेमपुर से इस आराजीयात की नकल लेने गयी तो पटवारी साहब ने कहा यह जमीन आपके नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नहीं हुई मैने इसका कारण पुछा तो पटवारी साहब ने सरपंच ग्राम पंचायत खेमपुर द्वारा उपरोक्त नामान्तकरण संख्या–2021 को निरस्त करने की जानकारी दी जिस पर मुझ अपीलान्ट ने दिनांक–12.02.2025 को उक्त नामान्तकरण की नकल प्राप्त की, जिससे देखने पर मुझे जानकारी हुई कि ग्राम पंचायत खेमपुर के सरपंच द्वारा नामान्तकरण की बिना जांच किये, मन मकसुद तरीके से अपनी रिपोर्ट में कुछ भी [illegible] नहीं कर घौर लापरवाही पूर्वक उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:05:13 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तकरण खारिज कर दिया तथा जानकारी मिलने के बाद मैने सम्पुर्ण दस्तावेज एकत्रित कर अधिवक्ता ने मिल कर उनकी सलाह अनुसार यह अपील प्रस्तुत की है। अंत में निवेदन किया कि उक्त अपील स्वीकार की जाकर तथाकथित नामान्तकरण सख्या – 2021 को स्वीकार फरमाया जाकर नामान्तकरण अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मुझ अपीलान्ट के नाम भूमि दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। रेस्पोडेण्ट संख्या 5 आवश्यक अनौपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा।
6. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्टस द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील अन्दर मियाद पेश की गई। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण खारिज करते समय अपीलाण्टस को सुने बिना विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया गया। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाया जावें।
7. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर मनन् किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत खेमपुर द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 2021 निरस्त दिनांक 23.12.2024 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि ग्राम पटवारी द्वारा रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर नामान्तरकरण भरकर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत खेमपुर को प्रेषित किया। ग्राम पंचायत खेमपुर द्वारा उक्त नामान्तकरण को निरस्त कर दिया गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय को नामान्तरकरण निरस्त करने का कारण अंकित करना चाहिए था। नामान्तरकरण संख्या 2021 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विवेचन किए नामान्तरकरण खारिज किया गया है। जबकि अपीलाण्ट द्वारा रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र की प्रति पटवारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय के बिना किसी कारण के नामान्तरकरण खारिज करने का कोई अधिकार नही है। ऐसे में ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी कारण के नामान्तरकरण खारिज कर विधि विरूद्ध निर्णय

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:05:13 IST
Reason: SelfAttested

पारित किया है। जिसे अपास्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाई जाती हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत खेमपुर का नामान्तरकरण संख्या 2021 दिनांक 23.12.2024 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार मावली को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में सभी हितबद्ध पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:05:13 IST
Reason: SelfAttested